

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-25092026-276515
SG-DL-E-25092026-276515असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26]	दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 21, 2026/भाद्र 30, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 220
No. 26]	DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 21, 2026/BHADRA 30, 1948	[N. C. T. D. No. 220

भाग II—I
PART II—Iराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 19 सितम्बर, 2026

सं. 101/नियम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 और 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय एतद् द्वारा उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड 5 के अध्याय 3 के भाग ख के नियम 1 में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड 5 के अध्याय 3 के भाग ख के नियम 1 के खंड (xix) के साथ संलग्न वर्तमान अनुसूची में, वर्तमान क्रम संख्या 4ख और 5 के मध्य, एक नई क्रम संख्या 4ग को निम्न रूप में शामिल किया जाएगा:-

4ग.	बेनामी संपत्ति संव्यवहार निषेध अधिनियम, 1988 की धारा 49 के अंतर्गत अपीलीय न्यायाधिकरण	दो न्यायधीशों की न्यायपीठ
-----	---	---------------------------

नोट: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,
अरुण भारद्वाज, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 19th September, 2026

No. 101/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment to Rule 1 of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules & Orders, Volume V:-

In the existing Schedule appended with Clause (xix) of Rule 1 of Part B of Chapter 3 of the High Court Rules & Orders, Volume V, a new Serial No. 4C shall be inserted in between existing Serial No. 4B & 5, in the following manner:-

4C.	Appellate Tribunal u/s 49 of The Prohibition of Benami Property Transactions Act, 1988	Bench of two Judges
-----	--	---------------------

NOTE: THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,
ARUN BHARDWAJ, Registrar General